

राजस्थान सरकार



# रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक... 5/जप 1995: 96

यह प्रमाणित किया जाता है कि गोपाल लाल शर्मा एंड  
श्रीधर लाल जिला जयपुर का

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज 11 दिनांक अप्रैल माह अप्रैल सन् एक हजार नौ सौ 1995 को जयपुर में दिया गया।



गोपाल लाल शर्मा  
रजिस्ट्रार संस्थाएँ  
जयपुर